

छावनी परिषद, मथुरा CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म./आर.टी.आई-05/542/119

दिनांक: 17 अप्रैल, 2018


श्री विमल दीक्षित,
निवासी - 242 सी वेस्ट,
अर्जुन नगर, आगरा, उ०प्र०

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 6(3) के अन्तर्गत आवेदन का स्थानान्तरण

संदर्भ: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (भूमि), कार्यालय प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी का पत्रांक 52692/RTI/ Lands/Apr-June/2018/8 दिनांक 06.04.2018 जिसके द्वारा आपके सूचना के मांग के अनुरोध पत्र दिनांक 23.03.2018 को उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत समस्त केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कार्यालय रक्षा सम्पदा अधिकारी/कार्यालय छावनी परिषद, मध्य कमान, लखनऊ छावनी को स्थानान्तरित किया है।

2. आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन में मांगी गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) & (j) के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार जन सूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। तदन्तर, किसी विषय में विधिक राय/अपनी राय प्रदान करना एक जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है।


3. उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री दीपक कुमार, मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।


देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
छावनी परिषद, मथुरा।

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (भूमि)
कार्यालय प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा,
मध्य कमान, लखनऊ।

- उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ।


मुख्य अधिशासी अधिकारी